

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 09.11.2023

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व छेड़खानी करने के आरोप में एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में उ0नि0 अम्बरीश बहादुर मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 583/23 धारा 363, 506, 354, 342 भा0द0स0 व धारा 11/12 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त निरंजन चौहान पुत्र रामबचन चौहान निवासी सिकटौर बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

निरंजन चौहान पुत्र रामबचन चौहान निवासी सिकटौर बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 583/23 धारा 363,506,354,342 भा0द0स0 व धारा 11/12 पाक्सो एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अम्बरीश बहादुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. का0 मंजीत यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. का0 अनिल चौहान थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर